

पत्रावली भाग राष्ट्रीय लोक भद्रालय के पेश  
हुयी। वादी के वकील उपस्थित। वादी  
वकील को सुना गया। पत्रावली एवं उस  
पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन  
किया गया। नकल जमाबन्दी खान 2071/2074  
वाके ग्राम अतीकपुरा तहसील उमिया के  
अनुसार वादी आराजी खान 167 रकबा 2.71 हे  
का खातेदार है। प्रतिवादी का प्रकरण के  
सम्बन्ध में तामील होगा तथा पेशी न करना  
वादी के वाद का परीक्षण समर्थन है। वाद  
वादी जिम्मेदार सिद्ध जाना अपेक्षित है।

अतः वाद बहक वादी  
विरुद्ध प्रतिवादी जिम्मेदार सिद्ध जाना है। प्रतिवादी  
को एमेशा-2 के लिए जरूरी स्थान निर्दिष्ट  
के पावन्द सिद्ध जाना है कि वे वादी के खातेदारी  
व कब्जे कागज की आराजी खान 167 रकबा  
2.71 हे वाके ग्राम अतीकपुरा तहसील उमिया  
के सिद्ध भी प्रकरण से दरकलंदाजी नही करें।  
पक्ष जिम्मेदार जारी है। परीक्षण खर्च अपना-2 बहक  
पत्रावली फेब्रुअरी 2024 नम्बर से कर है  
तथा दफ्तर दाखिल है।